


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकरण बनाम करण सिंह अपील संख्या 65 / 2022 (जीसीएमएस नं 2022 / 285)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट नम्बर 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुए न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रकरण तहसील टहला में भूमि आवंटन से संबंधित प्रतीत होता है। चूंकि अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्य नहीं है किन्तु प्रकरण में राज्य हित निहित होने के कारण अपील निम्न निर्देशों के साथ खारिज की जाती है। तहसीलदार टहला को अपील के निर्णय की प्रति प्रेषित की जाकर प्रकरण में जॉच पश्चात यदि प्रकरण 14 (4) के योग्य पाये जाये तो तत्काल सक्षम न्यायालय में 14 (4) के तहत कार्यवाही करने बाबत निर्देश जारी किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर अलवर को पर्यवेक्षणार्थ प्रेषित की जाये, जो यह सुनिश्चित करावे कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण विधिवत जॉच की जाकर प्रकरण दौराने जॉच 14(4) के योग्य पाये जाये तो 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इस हेतु पृथक तहरीर तहसीलदार टहला तथा जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. प्रवीण कुमार) अति-संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	<p style="text-align: right;">  2/2/24 </p>